

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों नवरात्रि, रामनवमी एवं रमजान माह के दृष्टिगत जनपद के समस्त थानों पर पीस कमेटी गोष्ठी का किया गया आयोजन

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर आगामी त्यौहारों नवरात्रि, रामनवमी एवं रमजान माह के दृष्टिगत थाना क्षेत्र के संबन्धित व्यक्तियों, ग्राम प्रधान, धर्मगुरुओं के साथ पीस कमेटी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी से आपसी भाईचारा, शांति एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने की अपील की गई, यदि कोई भी त्यौहार की आड़ में माहौल खराब करने का प्रयास करे तो उसकी सूचना तुरंत थाना पुलिस को दें जिससे समय से ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा सके।

गोष्ठी के दौरान सभी को अवगत कराया गया कि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक और भड़काऊ पोस्ट को बिना किसी जांच पड़ताल के शेयर न करें, किसी भी समाज के खिलाफ कोई टिप्पणी न करें, किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह न फैलाने, सभी से सभी धर्मों का सम्मान करने, कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे, की अपील की गयी।

इस दौरान उन्होंने कहा कि जुलूस के दौरान उपद्रव करने वाले असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रखी जायेगी व भ्रामक खबर, अफवाह प्रसारित करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।




पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा नई पहल के तहत की जा रही जनसुनवाई, जनसुनवाई के दौरान गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हुये थानों को पीड़ितों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में दिये आवश्यक निर्देश..

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपद महोबा में नई पहल के तहत जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये निरंतर गम्भीरता पूर्वक जनसुनवाई की जा रही है, जिसके क्रम में आज दिनांक 20.03.2023 को पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई की गयी।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा गूगल मीट की गयी जिसमें जनपद के प्रत्येक थाने के दिवसाधिकारी जुड़े रहे, इस दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं को लेकर आये उनसे उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया जिसके क्रम में फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण के लिये पुलिस अधीक्षक द्वारा गूगल मीट के जरिये थानों के दिवसाधिकारियों को पीड़ित की समस्या का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने/कराये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये ।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाये जाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में सभी अधीनस्थों को निर्देशित किया गया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर पर हो सकता है उन सभी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण थाना स्तर पर ही कराना सुनिश्चित करें ।



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस टीम द्वारा अपने-अपने सर्किल/थाना/चौकी क्षेत्रांतर्गत चलाया गया बैंक व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग अभियान ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा बैंकों के आसपास से टप्पेबाजी जैसी घटनाओं पर पूर्णरूप से अंकुश लगाये जाने हेतु संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी कर उन पर कार्यवाही किए जाने के क्रम में आज दिनांक 20.03.2023 को जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी /प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले बैंकों तथा प्रमुख चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, अभियान के क्रम में बैंकों के आसपास संदिग्ध व्यक्तियों, बॉर्डर से लगे बैरियर तथा वाहनों की चेकिंग की गयी। बैंक के आसपास बिना किसी कारण घूमने वालों को कार्यवाही की चेतावनी भी दी गयी, बैंक के भीतर ग्राहकों को क्रमवार खड़ाकर अपनी बारी का इंतजार कर व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया।

किसी भी प्रकार की लूट, छिनैती या टप्पेबाजी जैसी घटना को रोकने के लिए प्रमुख मार्गों, चौराहों तथा सूनसान स्थानों पर जनपदीय पुलिस टीम द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाकर बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों तथा काली फिल्म वाली गाड़ियों व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की विशेष रूप से चेकिंग की गयी, साथ ही दो पहिया वाहन पर तीन सवारी, बिना हेलमेट घूमने वाले लोगों की सघन चेकिंग कर चालान किया जा रहा है।



थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस टीम ने कार्यालय बाल विकास योजना के स्टोर से सरकारी रिफाइण्ड/सोयाबीन तेल चोरी करने वाले 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ माल बरामद

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जनपद में चोरी व नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम व उसमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 20.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राम प्रवेशराय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम ने चोरी किया हुआ माल बरामद करते हुये 03 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

घटना विवरण-

थाना कोतवाली महोबा क्षेत्र अन्तर्गत दिनांक 04.03.2023 को कार्यालय बाल विकास योजना के स्टोर से सरकारी रिफाइण्ड/सोयाबीन तेल चोरी होने की घटना घटित हुई थी जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु.अ.सं.-103/23

धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसके अनावरण के क्रम पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सम्बन्धित टीम को दिशा निर्देश दिये गये थे। आज दिनांक 20.03.2023 को पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि असलम शाह अपने साथियों के साथ चोरी किये हुये तेल को अपने घर पर रखे हुये है उक्त सूचना पर अभियुक्तगण 1.असलम शाह 2. आसिफ अली 3. रिजवान 4. तसलीम 5. अमन 6. वारिश के कब्जे से 23 कार्टून में 685 पैकेट रिफाइण्ड सोयाबीन तेल व दो प्लास्टिक पिपियो में 35 लीटर रिफाइण्ड सोयाबीन तेल व 60 पैकेट फटे हुये बरामद हुये। मौके से अभियुक्तगण 1.असलम शाह पुत्र जुम्न शाह 2.आसिफ अली पुत्र खालिद अली 3. रिजवान पुत्र इरफान को अन्तर्गत धारा-457/380/411 भादवि में हिरासत पुलिस लेते हुये विधिक कार्यवाही की गयी है तथा 03 अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहे जिनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही सुनिश्चित की जायेगी।

गिरफ्ताशुदा अभियुक्तगण-

- 1-असलम शाह पुत्र जुम्नन शाह उम्र 19 वर्ष निवासी मुहल्ला समदनगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
- 2-आसिफ अली पुत्र खालिद अली उम्र 19 वर्ष निवासी मुहल्ला समदनगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
- 3-रिजवान पुत्र इरफान उम्र 20 वर्ष निवासी मुहल्ला समदनगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

भागे हुये अभियुक्तगण-

- 1-तसलीम पुत्र हनीफ निवासी मुहल्ला समदनगर थाना कोतवाली नगर महोबा
- 2-अमन निवासी कसौरा टोरी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
- 3-वारिश पुत्र दउवा निवासी मुहल्ला समदनगर थाना कोतवाली नगर महोबा

बरामदगी-

23 कार्टून मे 685 पैकेट रिफाइण्ड सोयाबीन तेल व दो प्लास्टिक पिपियो मे 35 लीटर रिफाइण्ड सोयाबीन तेल व 60 पैकेट फटे हुये बरामद हुये ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ.नि.सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया
- 2.उ.नि.अनुरुद्ध प्रताप सिंह
- 3-का. मुकेश सिंह 4-का.रामकुमार तिवारी



थाना चरखारी पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 20.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा गठित टीम उ.नि. सत्येन्द्र सिंह द्वारा 01 नफर अभियुक्त वारंटी बबलू यादव पुत्र रामदयाल उर्फ गोला उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम नरेडी थाना चरखारी जनपद महोबा को सम्बन्धित माननीय न्यायालय केस न. 443/18 में नियमानुसार ग्राम नरेडी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

बबलू यादव पुत्र रामदयाल उर्फ गोला उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम नरेडी थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ.नि. सत्येन्द्र सिंह
2. का0 यशपाल सिंह
3. का0 गौरव बरसैया



थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 20.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री गणेश कुमार गुप्ता द्वारा गठित टीम के उ.नि.कन्हैयालाल द्वारा 02 नफर अभियुक्त मंदाकिनी पत्नी तन्नू कबूतरा उम्र करीब 40 वर्ष, सम्बन्धित मु.अ.सं. 638/2020 अपराध सं. 175/19 धारा 60 आब0अधि0 तथा फूलवती पत्नी स्व0 कैलाश कबूतरा उम्र करीब 62 वर्ष, सम्बन्धित मु.अ.सं. 1841/2020 अ.सं. 159/2018 धारा 60 आब0अधि0 में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बाद गिरफ्तारी आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ.नि.कन्हैयालाल 2. का0 राजेश कुमार सिंह 3. म.का. हिमांशी

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मंदाकिनी पत्नी तन्नू कबूतरा निवासी कबूतरा डेरा सेलामाफ अंश ननौरा थाना श्रीनगर महोबा
2. फूलवती पत्नी स्व0 कैलाश कबूतरा निवासी कबूतरा डेरा सेलामाफ ननौरा थाना श्रीनगर महोबा



महोबा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर 01 नफर अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 8,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0 के0 गौतम के पर्यवेक्षण में मॉनीटिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी।

जिसके क्रम में थाना महोबकंठ पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-11/2019 धारा-363/366/376 भादवि व 4 पाक्सो एक्ट में नामित अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र मिहीलाल निवासी ग्राम राजेपुर थाना शिवराजपुर जनपद महोबा के विरुद्ध प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दोष सिद्ध पाये जाने पर आज दिनांक 20.03.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (पाक्सो अधिनियम) से 10 वर्ष सश्रम व 8,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उत्कृष्ट पैरवी करने वाले लोक अभियोजक श्री उमानाथ सिंह का सराहनीय योगदान रहा है।

मीडिया सेल रायबरेलीथाना पनवाड़ी पुलिस टीम द्वारा लगभग 06 माह से अपहृता/गुमशुदा युवती को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया सुपुर्द, परिजनों ने कहा धन्यवाद महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपहृता/गुमशुदा की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 20.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ सुश्री हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना पनवाड़ी प्रभारी निरीक्षक श्री शशि कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0 227/2022 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित अपहृता को मय हमराही कर्मचारीगण की मदद से सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया।

परिजनों द्वारा पुलिस अधीक्षक महोबा व पनवाड़ी पुलिस का हृदय से आभार व्यक्त किया गया।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री शशि कुमार पाण्डेय
- 2.कां दिनेश सिंह सेंगर 3. कां अंकित सिंह

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना पनवाड़ी का किया गया औचक निरीक्षण, दिये गये आवश्यक निर्देश...।


आज दिनांक 20.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा सांयकाल में थाना पनवाड़ी का औचक निरीक्षण किया गया, जिसके अन्तर्गत थानास्थानीय के समस्त अभिलेखों के रख-रखाव व आगन्तुक रजिस्टर, महिला हेल्प डेस्क तथा साइबर हेल्प डेस्क को देखा गया तथा उनकी समस्याओं को सुनकर सम्बन्धित को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना पनवाड़ी के सम्पूर्ण परिसर (आवास, बैरक, भोजनालय, शौचालय, स्नानागार इत्यादि) का भ्रमण किया गया इस दौरान मुकदमाती मालों का रख-रखाव सही न पाये जाने पर सम्बन्धित को कड़ी फटकार लगाते हुये स्पष्टीकरण के निर्देश देते हुये निकट भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो इसके लिये सख्त हिदायत दी गयी।

पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कार्यालय एवं **CCTNS** कक्ष का निरीक्षण किया गया इस दौरान अपराधियों से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेखों का अवलोकन कर अपराधियों से सम्बन्धित अन्य विस्तृत जानकारियों को रजिस्टर में अंकित किये जाने के निर्देश दिये गये।

थाना पनवाड़ी के समस्त अधि. एवं कर्म. के साथ मीटिंग कर थानाक्षेत्र में घटित अपराधों की जानकारी ली गयी, अपराध की रोकथाम हेतु थाना क्षेत्र में समय के सदुपयोग के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में रात्रि के दौरान पुलिस प्रभावी ढंग से ड्यूटी करे ताकि घटनाएं घटित न हों, निर्देशित किया गया कि पीडित को न्याय दिलाना हम सभी का कर्तव्य है, इसलिये फरियादियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, ताकि उनका विश्वास पुलिस के प्रति बढ़े।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ सुश्री हर्षिता गंगवार, प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री शाशि कुमार पाण्डेय सहित थाना पनवाड़ी महोबा में नियुक्त अन्य अधि./कर्म. उपस्थित रहे।



पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरपूर सा ।

आज दिनांक **20.03.2023** को श्रीमती अपर्णा गुप्ता के नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर०के० गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा व्यापारी बन्धुओं से वार्ता कर उनको अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने व अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील, स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी । स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहनों के **53** ई-चालान किये गये ।



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना पनवाड़ी के समस्त विवेचकों का किया गया अर्दली रूम, सम्बन्धित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा आज दिनांक 20.03.2023 को थाना पनवाड़ी का औचक निरीक्षण किया गया जिसके उपरान्त थाना पनवाड़ी के समस्त विवेचकों का अर्दली रूम क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ सुश्री हर्षिता गंगवार की उपस्थिति में किया गया।

अर्दली रूम के दौरान समस्त विवेचकों से लम्बित विवेचनाओं के संबंध में विस्तृत रूप से पूछताछ करते हुये लम्बित विवेचनाओं के कारण की समीक्षा की गई एवं अकारण विवेचनाओं को लम्बित रखने वाले विवेचकों को सख्त हिदायत देते हुए विवेचनाओं का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।

इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनपद में चलाये जा रहे विभिन्न अभियान एवं वांछित/वारंटियों की गिरफ्तारी अभियान की समीक्षा की जिसके क्रम में निर्देशित किया कि रात्रि में चौराहे/तिराहे पर चेकिंग करके अपराधियों के संचरण पर रोक लगाने, अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों का भौतिक सत्यापन करने, अवैध शराब एवं अवैध शस्त्र रखने वालों व क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा महिला संबंधी अपराधों में त्वरित गति से कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गये।



थाना खरेला पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 20.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खरेला श्री यज्ञनारायण भार्गव द्वारा टीम गठित कर उ0नि0 शिवकुमार यादव व उ0नि0 गिरिजाशंकर पाण्डेय मय हमराहीयान द्वारा एक नफर अभियुक्त 1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह उम्र 21 वर्ष नि0 ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ नहर पुलिया टिकरी से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 33/2023 अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 शिवकुमार यादव 2. उ0नि0 गिरिजाशंकर पाण्डेय 3. आरक्षी नीरज यादव

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह उम्र 21 वर्ष नि0 ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

1. मु0अ0सं0 27/2023 धारा 323/504/506 भादवि



महोबा पुलिस